reducing gaps between the border outposts; increase in the number of outpost towers; intensification of patrolling along the border, both land and riverine; surveillance on the coastal areas; accelerated programme of construction of border roads and fencing.

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए धनराशि

*34. **श्री लक्खीराम अग्रवाल :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए अनुदान या अन्य रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गई,

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वक्त योजना का विस्तार किया हैं तथा सामाजिक सहायकता योजना के अन्तर्गत अन्य सामाजिक क्षेत्रों को शामिल करने हेतु योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की हैं और अनुदान राशि में वृद्धि करने की मांग की हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए निधियां शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं । राष्ट्रीय वृद्धावस्था के रूप में जारी की जाती हैं । राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि नीचे दी जाती हैं :-

(लाख रुपए मे)

योजना	1995-96	1996-97	1997-98
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2,736.86	4,584.57	4,584.53

मध्य प्रदेश राज्य के जिला स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकारी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन में अपेक्षाकृत अच्छा काम कर रहे हैं । राज्य सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के लिए निर्धारित सांख्यिकी सीमा को 4,89,800 से बढ़ाकर 7,50,000 करने का अनुरोध कर रही हैं तथा तदनुसार अतिरिक्त निधियों के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं ।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा तर्क दिये गये हैं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के कार्यान्वयन में राज्य का कार्य-निष्पादन अच्छा हैं और जनसंख्या में वृद्धि हो गई हैं जिससे राज्य में सम्भावित लाभर्थियों की संख्या 4,89,800 से बढ़कर 7,50,000 हो गयी हैं ।

Development of Wasteland in Orissa

*35. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the total wasteland in Orissa as on 31st March 1998;

(b) the plan drawn up for its development;

(c) the specific steps proposed to be taken in that direction during 9th Five Year Plan; and

(d) the details of fund allocation for the purpose?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) As per the survey conducted by the National Remote Sensing Agency (NRSA), Hyderabad, the total wastelands in 13 undivided districts of Orissa State as on 31st March, 1998 is 21.134 M.Ha.

(b) to (d) The Department of Wastelands Development is implementing a Central Sector Scheme of Integrated Wastelands Development Project (IWDP) for development of non-forest wastelands on watershed basis in Orissa State.

Under this scheme, projects are prepared by District Rural Development Agency (DRDA) and sanctioned on pro-ject to project basis. Under this Scheme, 19 projects have been sanctioned at a total cost of Rs. 49.58 crores. This is a continuing Scheme during Ninth Five Year Plan.